विलोपित

(131)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी R 4329 - I - 16

श्री लखन सिंह धाकड़ अधि० द्वारा आज दि. 26/12/16 को प्रस्तुत

26-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नवलसिंह पुत्र श्री कल्लू यादव
निवासी– ग्राम कटीली, तहसील व जिला दतिया
म.प्र. ....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया
म.प्र. ....अनावेदक

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 01/पुर्नाविलोकन/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17.09.13 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :–

–: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 617/779 रकबा 0.64 आरे के विधिवत व्यवस्थापन हेतु तहसील न्यायालय वृत उनाव के समक्ष आवेदन पेश किया गया था नायब तहसीलदार महोदय वृत उनाव ने प्र.क. 9/अ–19/03–04 पर दर्ज किया जाकर विधिवत उद्घोपणा का प्रकाशन किया गया, नियत समय मे कोई आपत्ति नही आयी, ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी से राय ली गई ,हल्का पटवारी का प्रतिवेदन, समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा प्रमाणित पाते हुये आवेदक को विवादित भूमि का व्यवस्थापन नायब तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.04 से स्वीकार किया गया। आवेदक उक्त भूमि पर से निरंतर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

ण कमांक–निगरानी–4329–एक / 2016 जिला–दतिया

नवलसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–दतिया के प्र.क्र. 01 / पुर्न. / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 17–09–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 28/5/19	